

विद्यालयी शिक्षा में नयी पहलें

शिक्षा, मानव संसाधन विकास का मूल है जो देश की सामाजिक-आर्थिक बनावट को संतुलित करने में महत्वपूर्ण और सहायक भूमिका निभाती है। बेहतर गुणवत्ता का जीवन प्राप्त करने के लिए एवं अच्छा नागरिक बनने के लिए बच्चों का चहुँमुखी विकास ज़रूरी है। शिक्षा की एक मज़बूत नींव के निर्माण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। इस मिशन के अनुसरण में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) दो विभागों के माध्यम से काम करता है —

- स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (डी.ओ.एस.ई.एल.)
- उच्च शिक्षा विभाग

जहाँ विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग देश में स्कूली शिक्षा के विकास के लिए जिम्मेदार है, वहीं उच्च शिक्षा विभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा व्यवस्था में से एक की देखभाल करता है। एम.एच.आर.डी. अपने संगठनों जैसे एन.सी.ई.आर.टी., एन.आई.ई.पी.ए., एन.आई.ओ.एस., एन.सी.टी.ई. आदि के साथ मिलकर काम कर रहा है। हालाँकि एम.एच.आर.डी. का दायरा बहुत व्यापक है, यह मॉड्यूल डी.ओ.एस.ई.एल. द्वारा सार्वभौमिक शिक्षा और इसकी गुणवत्ता में सुधार की दिशा में हाल में किए गए प्रयासों पर केंद्रित है।

अधिगम के उद्देश्य

इस मॉड्यूल के अध्ययन से शिक्षार्थी—

- डी.ओ.एस.ई.एल. द्वारा स्कूली शिक्षा हेतु किए गए हाल के प्रयासों जैसे— पी.जी.आई., यू.डी.ई.एस.ई.+ आदि के बारे में जागरूकता प्राप्त कर स्कूल में क्रियान्वित कर पाएँगे।
- विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 'समग्र शिक्षा' के अंतर्गत उद्देश्यों और प्रावधानों को समझेंगे।
- स्कूलों में सीखने-पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के संदर्भ में पुस्तकालय की पुस्तकों के उपयोग और खेल, रसोईघर से जुड़ी बागवानी (किचन गार्डन; पोषण उद्यान), युवा और पारिस्थितिकी क्लब आदि प्रयासों के माध्यम से बच्चों को आनंदमय एवं अनुभवजन्य अधिगम के अवसर प्रदान करेंगे।

भूमिका

1976 से पहले तक शिक्षा राज्यों की विशेष जिम्मेदारी थी। 1976 का संवैधानिक संशोधन, जिससे शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल हुई, एक महत्वपूर्ण दूरगामी कदम था। वित्तीय, प्रशासनिक और मूलभूत बदलावों के लिए केंद्र सरकार और राज्यों के बीच जिम्मेदारी के

नए बँटवारे की आवश्यकता थी। हालाँकि इससे शिक्षा में राज्यों की भूमिका और ज़िम्मेदारी काफी हद तक अपरिवर्तित रही है, पर इसके बावजूद केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय और एकीकृत चरित्र को मज़बूत करने, सभी स्तरों पर शिक्षण के पेशे सहित अन्य समस्त आयामों में गुणवत्ता और मानक बनाए रखने और देश की शैक्षिक ज़रूरतों के अध्ययन और निगरानी की एक बड़ी ज़िम्मेदारी स्वीकार की। देश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (यू.ई.ई.) की प्राप्ति के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई कार्यक्रमों और परियोजनाओं की शुरुआत की, जिन्हें आम तौर पर केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) कहा जाता है। सी.एस.एस. वे योजनाएँ हैं जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.) की सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, लेकिन इनका वित्तपोषण मुख्यतया केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी भी निर्धारित होती है।

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियों के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए देश की मानव संसाधन क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने तथा समान गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार, विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाती है। इसके सर्वमान्य उद्देश्य हैं— गुणवत्तापूर्ण विद्यालय शिक्षा के साथ-साथ पहुँच बढ़ाना; वंचित समूहों और कमज़ोर वर्गों के समावेश के माध्यम से साम्यता को बढ़ावा देना; और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।

हाल ही में एम.एच.आर.डी. ने प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स (पी.जी.आई), यू.डी.आई.एस.ई.+ , विद्यालय ऑडिट (शगुनोत्सव) और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एन.ए.एस.) जैसे कई नये प्रयास किए हैं, ताकि 'समग्र शिक्षा' के अंतर्गत अधिगम प्रतिफलों में सुधार हेतु, प्रशासनिक/शासन के मुद्दों और शैक्षणिक कार्यक्रमों सहित, विद्यालयी शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इन पहलों की सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, सभी स्तरों पर समन्वय और राष्ट्रीय स्तर से विद्यालय स्तर तक संस्थानों के बीच मज़बूत संबंध पर निर्भर करती है।

समग्र शिक्षा— विद्यालयी शिक्षा के लिए समेकित योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2018-19 में 'समग्र शिक्षा' का शुभारंभ किया। विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में यह एक सर्वसमावेशी कार्यक्रम है, जिसका विस्तार विद्यालय-पूर्व से लेकर बारहवीं कक्षा तक है और इसका उद्देश्य है कि विद्यालयी शिक्षा की प्रभावशीलता, जिसे समरूप अधिगम प्रतिफलों एवं विद्यालय प्रवेश के समान अवसरों के रूप में मापा जाता है, का संवर्धन किया जा सके। इसमें सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) और शिक्षक शिक्षा (टी.ई.) की तीन पूर्ववर्ती योजनाएँ समाहित हैं। परियोजना उद्देश्यों से शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्था स्तर पर प्रदर्शन में सुधार के लिए विद्यालयी परिणामों के आधार पर यह योजना राज्यों के उत्साहवर्धन जैसे बदलावों को चिह्नित करती है।

इस योजना में 'विद्यालय' की परिकल्पना विद्यालय-पूर्व, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में की गयी है। योजना की

विद्यालयी बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से एक सर्वोत्कृष्ट (फ्लैगशिप) कार्यक्रम

समग्र शिक्षा

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
भारत सरकार



दूरदृष्टि में शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) के अनुसार विद्यालय-पूर्व से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।

एस.डी.जी. लक्ष्य 4.1 में कहा गया है कि “सुनिश्चित करें कि 2030 तक सभी लड़के और लड़कियाँ, संगत एवं प्रभावी अधिगम प्रतिफलों की ओर ले जाने वाली निःशुल्क, न्यायसंगत एवं गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को पूरा करें।” आगे एस.डी.जी. 4.5 में कहा गया है कि “2030 तक, शिक्षा में जेंडर संबंधी विकृतियों को खत्म करें तथा अति संवेदी (वल्नरेबल) लोगों, जिसमें विशेष आवश्यकता समूह और देशज समुदाय के लोगों के साथ ही संवेदनशील परिस्थितियों वाले बच्चे शामिल हैं, के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करें।”

आओ विचार करें

शिक्षा में जेंडर संबंधी विषमताओं को समाप्त करने से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे मदद मिलेगी? अपने सहकर्मी के साथ अपने विद्यालय/संस्थान की कोई पहल साझा करें जिसमें विशेष आवश्यकताओं वाले एक विद्यार्थी ने सफलतापूर्वक अपनी शिक्षा पूरी की है?

योजना के उद्देश्य

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के सीखने के प्रतिफलों में वृद्धि;
- स्कूली शिक्षा में सामाजिक और जेंडर संबंधी अंतर को कम करना;
- स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर साम्यता और समावेश सुनिश्चित करना;
- स्कूली शिक्षा के प्रावधानों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना;
- शिक्षा के व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना;
- बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (आर.टी.ई.) अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता; और
- शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में एस.सी.ई.आर.टी./राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट का सुदृढीकरण और उन्नयन।

योजना की विशेषताएँ

- वर्तमान स्कूलों के उच्चतर माध्यमिक स्तर तक उन्नतीकरण और विद्यालय विहीन क्षेत्रों में स्कूली सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच।
- बुनियादी सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, ताकि विद्यालय में निर्धारित मानदंडों का पालन सुनिश्चित हो सके।
- पुस्तकालयों के सुदृढीकरण के लिए प्रति विद्यालय ₹ 5000 से ₹ 20,000 वार्षिक अनुदान।
- ₹ 25,000 का समग्र स्कूल अनुदान—स्कूल में बच्चों के नामांकन के आधार पर आवंटित किया जाने वाला ₹ 1 लाख, जिसमें से कम से कम 10 प्रतिशत स्वच्छ कार्य योजना पर खर्च किया जाना है।
- प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹ 5000, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹ 10,000 और माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹ 25,000 तक की लागत के खेल उपकरणों के लिए वार्षिक अनुदान।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) के लिए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष की दर से ₹ 3,500, जिसमें सी.डब्ल्यू.एस.एन. बालिकाओं के लिए ₹ 200 प्रति माह भी शामिल है, का आवंटन, जो कक्षा एक से बारहवीं तक दिया जाना है।
- प्रत्येक बच्चे के लिए प्रति वर्ष ₹ 600 की दर से वर्दी के लिए आवंटन।
- प्रत्येक बच्चे के लिए प्रति वर्ष ₹ 250/400 की दर से पाठ्यपुस्तकों के लिए आवंटन।
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) का कक्षा 6-8 से कक्षा 6-12 तक उन्नयन।
- शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एस.सी.ई.आर.टी. और डी.आई.ई.टी. जैसे शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना।
- स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल बोर्डों और डी.टी.एच. चैनलों के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उन्नत उपयोग।
- आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समर्थन सहित अधिनियम की धारा 12(1) (सी) के तहत प्रतिपूर्ति प्रदान करना।
- कठिन क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय और छात्रावास की स्थापना।
- संतुलित शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के मद्देनजर शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ई.बी.बी.), एल.डब्ल्यू.ई., विशेष फोकस जिलों (एस.एफ.डी.), सीमा क्षेत्रों और नीति आयोग द्वारा चिह्नित 117 आकांक्षाशील जिलों को वरीयता।

आओ विचार करें

शीर्षक समग्र शिक्षा को इसकी विशेषताओं के संदर्भ में आप कैसे उचित ठहराएँगे?

इस योजना में मुख्यतया दो “T”— शिक्षक (टीचर) और प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) पर ध्यान देकर, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। योजना के तहत सभी हस्तक्षेपों की कार्यनीति, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सीखने के प्रतिफलों को बढ़ाने के लिए होगी। यह योजना, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लचीलापन देने का प्रस्ताव रखती है, ताकि वह परियोजना के मानकों और इसके अंतर्गत उपलब्ध समूचे संसाधनों का उपयोग कर अपनी योजना और हस्तक्षेपों को प्राथमिकताबद्ध कर सके। इस योजना में छात्रों के नामांकन, प्रतिबद्ध देनदारियों, सीखने के प्रतिफलों और विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर निर्मित वस्तुनिष्ठ मानदंड के अनुसार धन आवंटित करना प्रस्तावित है।

स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों में अवस्थांतरण दर में सुधार करने और स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए बच्चों की सार्वभौमिक पहुँच को बढ़ावा देने में, इस योजना से मदद मिलेगी। शिक्षक शिक्षा के एकीकरण से स्कूली शिक्षा में विभिन्न सहयोगी संरचनाओं के बीच प्रभावी संकेद्रण और संयोजन में एकीकृत प्रशिक्षण कैलेंडर, शिक्षण में नवाचार, सलाह और निगरानी इत्यादि हस्तक्षेपों के माध्यम से मदद मिलेगी। यह योजना एस.सी.ई.आर.टी. को नोडल एजेंसी बनाने में सक्षम बनाएगी, ताकि सभी सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जरूरत-केंद्रित और गतिशील बनाकर उनका संचालन और निगरानी की जा सके। यह प्रौद्योगिकी के लाभदायक फलों की प्राप्ति और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में और समाज के सभी वर्गों में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा की पहुँच को व्यापक बनाने में भी सक्षम होगी।

योजना का कार्यान्वयन

योजना का कार्यान्वयन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में, एकल राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी (एस.आई.एस.) के माध्यम से, विभाग द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किया जाना है। राष्ट्रीय स्तर पर, मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन परिषद और विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पी.ए.बी.) है। संचालन परिषद को वित्तीय और कार्यकारी मानदंडों को संशोधित करने और योजना की समग्र संरचना के अंदर कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों को मंजूरी देने का अधिकार है। इस तरह के संशोधनों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नवाचार और हस्तक्षेप शामिल होंगे। विभाग को एजुकेशनल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लि. (एडसिल) के एक तकनीकी सहायता समूह (टी.एस.जी.) का सहयोग प्राप्त है, जो एस.एस.ए., आर.एम. एस.ए. और टी.ई. की पूर्ववर्ती योजनाओं के टी.एस.जी. को मिलाकर बना है और यह शिक्षा की सुलभता, समानता और इसकी गुणवत्ता से संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। राज्यों से, पूरे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र के लिए एक समान योजना लाने की उम्मीद की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच इस योजना के लिए निधि साझा करने की

वर्तमान व्यवस्था; 8 पूर्वोत्तर राज्यों— अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और तीन हिमालयी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड— के लिए 90:10 के अनुपात में है, जबकि अन्य राज्यों एवं विधानमंडल वाले संघशासित क्षेत्रों के लिए यह अनुपात 60:40 है। विधानमंडल विहीन संघशासित क्षेत्रों के लिए यह केंद्र द्वारा 100% प्रायोजित है। यह अक्टूबर 2015 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की युक्तिसंगतता हेतु मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की सिफारिशों के अनुसार है।

योजना के घटक

विद्यालय-पूर्व शिक्षा

समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन की रूपरेखा में कई शोध अध्ययनों में बताई गयी विद्यालय-पूर्व शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को पहचाना गया है। गुणवत्ता वाली विद्यालय-पूर्व शिक्षा से न केवल स्कूलों में बच्चों की प्रगति होती है और उपलब्धि बढ़ती है, बल्कि भविष्य के विकास और सीखने की नींव रखी जाती है और सकारात्मक दृष्टिकोण एवं सीखने की इच्छा विकसित होती है। इसलिए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण विद्यालय-पूर्व अनुभव प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है। समग्र शिक्षा के तहत, विद्यालय-पूर्व कार्यक्रम को मौजूदा 'पढ़े भारत, बढ़े भारत' कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय की प्रारंभिक कक्षाओं में आरंभिक भाषा एवं साक्षरता और आरंभिक गणना शिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस तरह से विद्यालय-पूर्व से लेकर विद्यालय की शुरुआती कक्षाओं (कक्षा 1 से 3) तक निरंतरता को मान्यता दी जाती है।

स्कूली शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय-पूर्व शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? आपके राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में विद्यालय-पूर्व शिक्षा को लागू करने की क्या चुनौतियाँ हैं?

समग्र शिक्षा द्वारा स्कूलों में विद्यालय-पूर्व शिक्षा प्रदान करने में राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन किया जाएगा। इसके लिए, जहाँ संभव हो वहाँ, प्राथमिक विद्यालयों के प्रांगण में आँगनवाड़ियों को स्थापित करने और महिला एवं बाल विकास विभाग/मंत्रालय के साथ मिलकर पाठ्यक्रम विकास के लिए सहयोग प्रदान किया जायेगा। विद्यालय-पूर्व कार्यक्रम 2 साल की अवधि के लिए होगा जो 4-6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों के लिए है। यू.डी.आई.एस.ई. 2015-16 के अनुसार, 41.3 प्रतिशत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में आँगनवाड़ी केंद्र हैं। स्कूलों के साथ स्थित आँगनवाड़ियों के मामले में, जहाँ 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों को समायोजित किया जाता है, 4-6 वर्ष की आयु के बच्चों को विद्यालय-पूर्व बच्चों के रूप में माना जाएगा। यू.डी.आई.एस.ई. 2016-17 के अनुसार, प्राथमिक वर्गों वाले 12.36 लाख स्कूलों में से 2.94 लाख स्कूल, जो कुल प्रतिशत का 24 प्रतिशत है, में पूर्व-प्राथमिक अनुभाग हैं। पूर्व-प्राथमिक अनुभाग (दोनों वर्गों) में 1.36 करोड़ बच्चे नामांकित किए गए हैं, जिनमें से केवल 0.36 करोड़ सरकारी स्कूलों में हैं। जहाँ भी राज्य सरकार औपचारिक प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय-पूर्व शिक्षा प्रदान करने की इच्छा जाहिर करेगी, यह योजना सहायता प्रदान करेगी।

इस योजना में स्वच्छता सुविधाओं सहित सुरक्षित और निरापद बुनियादी संरचना; उपयुक्त पाठ्यक्रम, सीखने की गतिविधियों, शैक्षणिक प्रथाओं और मूल्यांकन के विकास; शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और सामुदायिक भागीदारी और सहभागिता के लिए

दिशानिर्देश दिए गए हैं। इस योजना में पाठ्यक्रम विकास, आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण, स्कूल के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों द्वारा सहयोग एवं सलाह और शिक्षण सामग्री संवर्धन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय और संकेंद्रण सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों को मज़बूत करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति स्कूल ₹ 3 लाख तक की राशि प्रदान की गयी है।

छात्रों में पढ़ने की आदत डालना— समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालय अनुदान ('पढ़े भारत, बढ़े भारत')

'पढ़े भारत, बढ़े भारत' की गतिविधियों के पूरक के रूप में तथा सभी उम्र के छात्रों में पढ़ने की आदतों को पोषित करने के लिए विद्यालयों के पुस्तकालयों का सुदृढीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्र प्रायोजित योजना, समग्र शिक्षा 2018-19 के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के लिए पुस्तकालय अनुदान के माध्यम से पुस्तकों का प्रावधान है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017 से पता चला है कि किताबें पढ़ने से बच्चों की उपलब्धि में सुधार होता है। पहली बार, प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक के स्कूलों के लिए अलग से वार्षिक पुस्तकालय अनुदान का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ₹ 5,000 से ₹ 20,000 तक के पुस्तकालय अनुदान को नीचे बताए गए रूप में देने का प्रावधान किया गया है—

1. प्राथमिक विद्यालय के लिए ₹ 5,000 और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए ₹ 10,000 तक
2. मिश्रित प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹ 13,000 तक (कक्षा 1 से 8 तक)
3. माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹ 10,000 (कक्षा 9 और 10)
4. कक्षा 6 से 12 तक के लिए ₹ 15,000
5. मिश्रित माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹ 15,000 तक (कक्षा 1 से 10 तक)
6. मिश्रित माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹ 15,000 तक (कक्षा 9 से 12 तक)
7. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹ 10,000 तक (केवल कक्षा 11 और 12)
8. मिश्रित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए ₹ 20,000 तक (कक्षा 1 से 12 तक)
9. ये अनुदान वार्षिक आधार पर उपलब्ध होंगे।

गतिविधि

प्रत्येक व्यक्ति को निम्न सूचियाँ बनाने के लिए कहें—

- पुस्तकों की एक सूची, जो उसने पिछले पाँच वर्षों में पढ़ी है।
- उन पुस्तकों की एक सूची जो वह सोचती/सोचता है कि बच्चे पढ़ना चाहेंगे।

दीवारों पर लगे चार्ट पेपर पर इन सूचियों को चिपकाएँ और हर किसी को इन्हें देखकर अपने विद्यालय पुस्तकालयों में बच्चों के लिए पुस्तकें इकट्ठा करने के लिए कहें।



‘पढ़े भारत, बढ़े भारत’ (पी.बी.बी.बी.) में समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किया गया है। प्रारंभिक कक्षा से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तरों तक पढ़ने की प्रक्रिया को निरंतर अभ्यास, विकास और परिशोधन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए जरूरी है कि समय-समय पर पुस्तकों, पत्रिकाओं, जर्नल्स और अन्य पठन सामग्री को मँगवा कर, पुस्तकालयों का उन्नयन किया जाए।

समग्र शिक्षा के तहत खेल अनुदान (‘खेले भारत, खिले भारत’)

स्कूलों में बच्चों और शैक्षिक प्रणालियों दोनों के लिए खेल अत्यधिक लाभकारी है। बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक पहलुओं के विकास में खेल मदद करते हैं। सामाजिक कौशल, सामाजिक व्यवहार, जीवन-शैली, आत्मसम्मान और विद्यालय उन्मुख दृष्टिकोण को तेज़ करने में भी खेल का बहुत योगदान है।

खेल के कई फ़ायदे हैं। खेलों के तहत शारीरिक गतिविधियाँ और व्यायाम दिमाग और शरीर के एकीकृत विकास में योगदान देते हैं, स्वास्थ्य के लिए एरोबिक और अनएरोबिक शारीरिक व्यायाम की भूमिका की समझ विकसित करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं।

यह अन्य लोगों के साथ मिलने-जुलने और संवाद करने, विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं को निभाने, सामाजिक कुशलताओं (जैसे सहिष्णुता और दूसरों के लिए सम्मान) को सीखने और दलीय/सामूहिक उद्देश्यों (जैसे सहयोग और सामंजस्य) को समायोजित करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह किसी को भी भावनात्मक और मानसिक रूप से मज़बूत बनाते हैं।



पहली बार समग्र शिक्षा के तहत बच्चों के समग्र विकास के मद्देनज़र उन्हें खेल और खेलों में भाग लेने के अवसर दिए गए हैं, खेल उपकरणों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। हर सरकारी स्कूल को खेल अनुदान, प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹ 5000, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए विस्तृत रूप में ₹ 10,000 और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹ 25,000 तक की धनराशि अंदर एवं बाहर खेले जाने वाले (इनडोर और आउटडोर) खेलों हेतु खेल उपकरण खरीदने के लिए प्राप्त होगी।

मिश्रित विद्यालय अनुदान

इस योजना में सभी सरकारी स्कूलों के खराब हो गए स्कूल उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए और अन्य आवर्ती लागत जैसे खेल सामग्री, खेल उपकरण, प्रयोगशालाओं, बिजली के शुल्क, इंटरनेट, पानी, शिक्षण सहायक सामग्री आदि के लिए वार्षिक आवर्ती विद्यालय अनुदान प्रदान किया जाता है। वार्षिक मिश्रित विद्यालय अनुदान की राशि विस्तृत रूप में नीचे दी गयी तालिका में ₹ 25,000 से ₹ 100,000 के बीच विद्यालय में छात्रों की संख्या के आधार पर प्रति वर्ष बदलती रहती है—

विद्यालय में छात्रों की संख्या	विद्यालय अनुदान
≤ 100	₹ 25,000 (स्वच्छ कार्य योजना के लिए कम से कम ₹ 2,500 सहित)
> 100 से ≤ 250	₹ 50,000 (स्वच्छ कार्य योजना के लिए कम से कम ₹ 5,000 सहित)
> 250 से ≤ 1000	₹ 75,000 (स्वच्छ कार्य योजना के लिए कम से कम ₹ 7,500 सहित)
> 1000	₹ 1,00,000 (स्वच्छ कार्य योजना के लिए कम से कम ₹ 10,000 सहित)

समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) के लिए समावेशी शिक्षा तत्कालीन एस.एस.ए., आर.टी.ई. और आर.एम.एस.ए. योजनाओं के प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक रही है। वर्ष 2018-19 से, समग्र शिक्षा में सी.डब्ल्यू.एस.एन. सहित सभी छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ज़ोर दिया जा रहा है। इस प्रकार, यह हस्तक्षेप समग्र शिक्षा के तहत एक आवश्यक घटक है। यह घटक विभिन्न छात्र उन्मुख गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करता है, जिसमें सी.डब्ल्यू.एस.एन. की पहचान और आवश्यकता आकलन, सहायक उपकरण एवं सामग्री, सुधारात्मक सर्जरी, ब्रेल पुस्तकें, बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें, वर्दी, चिकित्सीय सेवाएँ, शिक्षण-अधिगम सामग्री का विकास (टी.एल.एम.), सहायक युक्तियाँ और उपकरण, सी.डब्ल्यू.एस.एन. की प्रकृति और आवश्यकताओं के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण और जागरूकता पैदा करने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, अनुदेशात्मक सामग्रियों की खरीद/विकास, पाठ्यक्रम अनुकूलन पर विशेष शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, विशेष आवश्यकताओं वाली लड़कियों के लिए वजीफ़ा आदि शामिल हैं। इस घटक में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (6-14 वर्ष की आयु के अंदर) के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन पर भी ज़ोर दिया गया है।

वर्तमान में समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ सभी बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) को कक्षा 1 से 12 तक निरंतरता में शामिल करना है।

कक्षा 1 से 12 तक की सी.डब्ल्यू.एस.एन. लड़कियों को प्रति माह ₹ 200 का वजीफ़ा प्रत्यक्ष लाभार्थी अंतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। पहले यह केवल नौवीं से बारहवीं कक्षा के लिए था। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवंटन ₹ 3000 से बढ़ाकर ₹ 3500 प्रति बच्चा प्रति वर्ष किया गया है। इसके अलावा, अतिरिक्त संसाधन सहायता (विशेष शिक्षक संसाधन व्यक्तियों के वेतन हेतु वित्तीय सहायता) को स्कूल के अंदर सी.डब्ल्यू.एस.एन. की ज़रूरतों को उचित रूप से संबोधित करने के लिए भी उपलब्ध कराया गया है।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.)

समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को दूर करना है। परिणामस्वरूप, शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर मौजूद कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों (के.जी.बी.वी.) और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के मौजूदा छात्रावासों को बारहवीं कक्षा तक आवासीय और स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए बढ़ाया/ परिवर्तित किया गया है।

इस योजना में छठवीं से बारहवीं कक्षा में अध्ययन करने की इच्छुक 10-18 वर्ष के आयुवर्ग की वंचित समूहों की लड़कियों तक शिक्षा की सुगमता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान है; विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और बी.पी.एल. परिवार से सम्बंधित लड़कियों के लिए इस योग्यता में प्राथमिक से माध्यमिक और बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा को यथासंभव सुचारु बनाना सुनिश्चित किया गया है।

समग्र शिक्षा की योजना में मौजूदा के.जी.बी.वी. हेतु उच्च प्राथमिक स्तर से बारहवीं कक्षा तक के उन्नयन का प्रावधान किया गया है। इससे शैक्षणिक रूप से पिछड़े हर उस ब्लॉक में जहाँ किसी अन्य योजना के तहत आवासीय विद्यालय नहीं हैं, कक्षा 6-8 की लड़कियों के लिए कम से कम एक आवासीय विद्यालय की सुविधा हो जाएगी।



6 से 12वीं कक्षा में पढ़ने की इच्छा रखने वाली 10–18 वर्ष की वे लड़कियाँ जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और बी.पी.एल. परिवारों से संबंधित हैं, इस योजना का लक्ष्य समूह हैं। भवन निर्माण के लिए गैर-आवर्ती अनुदानों के अलावा, समग्र शिक्षा में जनशक्ति लागत सहित सभी खर्चों के लिए नीचे दिए गए रूप में आवर्ती अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है—

1. छठवीं से आठवीं कक्षा के कस्तूरबा विद्यालयों के लिए प्रति वर्ष ₹ 60 लाख तक
2. कक्षा छठवीं से दसवीं तक के कस्तूरबा विद्यालयों के लिए प्रतिवर्ष ₹ 80 लाख तक
3. कक्षा छठवीं से बारहवीं तक के कस्तूरबा विद्यालयों के लिए ₹ 1 करोड़ तक
4. कक्षा 9 से 12 तक केवल बालिकाओं के छात्रावास के लिए प्रति वर्ष ₹ 25 लाख तक

वर्तमान में, 2018–19 तक स्वीकृत कुल 5,970 कस्तूरबा विद्यालयों में से 4,841 कस्तूरबा विद्यालयों कार्य कर रहे हैं और 5.91 लाख लड़कियाँ वर्तमान में कस्तूरबा विद्यालयों में नामांकित हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान 35 नए कस्तूरबा विद्यालयों स्वीकृत किए गए हैं और 1,232 कस्तूरबा विद्यालयों का वर्ष 2018–19 के दौरान कक्षा आठवीं से दसवीं/बारहवीं में उन्नयन किया गया है।

आत्मरक्षा प्रशिक्षण (रक्षा)

जेंडर आधारित हिंसा देश में किशोर लड़कियों के विकास, वृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्या है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) की रिपोर्ट, *क्राइम इन इंडिया* के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों के दौरान जेंडर आधारित अपराधों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। दुर्भाग्य से, जिन घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं हुई, उनके बारे में आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

देश में लड़कियों के खिलाफ अपराधों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, उनकी रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में उन्हें आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण एक जीवन-कौशल है जिससे लड़कियों को अपने परिवेश के बारे में अधिक जागरूक होने और किसी भी समय अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहने में मदद मिलती है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से, लड़कियों को मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनना सिखाया जाता है ताकि संकट के समय वे अपनी रक्षा कर सकें। आत्मरक्षा प्रशिक्षण तकनीक लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा करती



है और विशेषकर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और स्कूल छोड़ने (ड्रॉप-आउट) की दर को कम करने में इससे मदद मिलती है।

आत्मरक्षा तकनीकों के माध्यम से लड़कियों को अपनी मूल शक्ति बढ़ाना सिखाया जाता है। गंभीर परिस्थितियों में अपने आप को बचाने के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती बल्कि रणनीतिक तरीके से मारी गयी एक कुहनी, एक तेज झटका, एक किक या एक पंच ही किसी हमलावर को रोकने के लिए पर्याप्त है। लड़कियों को हर दिन काम में आने वाली चीजों जैसे— चाबी की चैन, दुपट्टा, स्टोल, मफलर, बैग, पेन/पेंसिल, नोटबुक आदि का उपयोग अवसर के अनुरूप हथियारों के रूप में करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

समग्र शिक्षा के तहत, सरकारी स्कूलों में नामांकित लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए ₹ 3000 प्रति माह, प्रति विद्यालय, तीन महीने के लिए दिया जाता है। यह प्रशिक्षण छठवीं से बारहवीं कक्षा तक की छात्राओं के लिए है। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) में रहने वाली लड़कियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत निर्भया फंड, एवं पुलिस विभाग, होमगार्ड्स, एन.सी.सी. या राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के तहत निधि प्राप्ति हेतु प्रयास कर सकते हैं।

विद्यालय सुरक्षा

बच्चों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और शिक्षा की पहुँच ऐसे माहौल में होनी चाहिए जो बच्चों के विकास और आगे बढ़ने के लिए सुरक्षित, संरक्षात्मक और अनुकूल हो। विद्यालय सुरक्षा और निरापदता को व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और इसे केवल संरचनागत और भौतिक सुरक्षा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। विद्यालय सुरक्षा का मुद्दा शारीरिक दंड से परे, शारीरिक हिंसा, यौनिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक हिंसा तक जाकर अधिक जटिल हो गया है। यहाँ तक कि कुछ चरम मामलों में तो यह मौत की ओर भी चला गया है। हाल के दिनों में स्कूलों से हत्या, हमले और बलात्कार सहित हिंसा की दुखद घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। हिंसा, अपराध, पोर्नोग्राफी और मादक द्रव्यों के सेवन वाले वीडियो और इंटरनेट तक बच्चों की आसान पहुँच में लगातार वृद्धि हो रही है। ड्रग्स, शराब और सिगरेट की आसान उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। इस सबके साथ-साथ बच्चों को माता-पिता, शिक्षकों और साथियों की ओर से जबरदस्त परीक्षा तनाव और दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनमें निराशा, आक्रामकता व अवसाद पनप रहा है और कुछ मामलों में तो यह आत्महत्या की ओर भी ले जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन, प्रधानाचार्य, शिक्षक और विद्यालय कर्मचारियों का दृष्टिकोण सामान्यतया कभी-कभी उदासीन हो जाता है, जो चिंता का एक प्रमुख कारण है और इसलिए विद्यालय सुरक्षा और सुरक्षा संरचना को लेकर एक विस्तृत कार्य योजना की आवश्यकता है। स्कूलों को सुरक्षित और निरापद बनाने के लिए विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और परामर्शदाताओं सहित

विभिन्न पणधारकों के परामर्श से एक जवाबदेह ढाँचे के साथ व्यापक दिशानिर्देश विकसित किया जा रहा है।

जागो बदलो बोलो

तेलंगाना के राज्य शिक्षा विभाग ने पॉक्सो (पी.ओ.सी.एस.ओ.) अधिनियम पर पुलिस विभाग के सहयोग से बाल यौन शोषण के खिलाफ “जागो बदलो बोलो” नामक साल भर का अभियान चलाया है। इसके तहत प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

एक आदर्श स्थिति में, हर विद्यालय में काउंसलर उपलब्ध कराए जा सकते हैं, किंतु देश में प्रशिक्षित काउंसलरों की कमी के कारण वर्तमान में यह संभव नहीं है। शिक्षकों को विद्यालय के अंदर पहले चरण के काउंसलर के रूप में कार्य करने के लिए संवेदनशील बनाया जा सकता है। वे अपने छात्रों की ओर से किसी भी परेशानी के संकेत या व्यवहार की पहचान करने और उनके साथ संलग्न होने के लिए स्वयं उन्मुख हो सकते हैं। इस एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को परामर्श, पॉक्सो अधिनियम, जे.जे. अधिनियम, विद्यालय सुरक्षा दिशानिर्देश, हेल्पलाइन और आपातकालीन नंबर, शिकायतों के लिए शिकायत/सुझाव पेटिका आदि प्रावधानों की ओर उन्मुख किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में ₹ 1,000 प्रति शिक्षक प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रत्येक विद्यालय को एक सुरक्षा बोर्ड भी बनाना है, जिस पर हेल्पलाइन/आपातकालीन नंबर और व्यक्तियों के संपर्क प्रदर्शित हों। इसके लिए ₹ 500 प्रति विद्यालय दिया गया है।

रंगोत्सव

यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) की एक पहल है जो राष्ट्र के युवा शिक्षार्थियों के बीच सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बनायी गयी है। यह सांस्कृतिक गतिविधियों/कार्यक्रमों का एक संकलन था और पूरे देश में स्कूलों ने इसे उत्साहपूर्वक आयोजित करते हुए इसमें भाग लिया, ताकि प्रत्येक बच्चे को विभिन्न संस्कृतियों की जीवंत सुंदरता का अनुभव हो सके। रंगोत्सव सांस्कृतिक पखवाड़े का आयोजन 7 से 21 दिसंबर, 2018 तक इस विचार के साथ किया गया कि छात्रों, शिक्षकों और अन्य सभी पणधारकों के लिए हार-जीत के निर्णयों से परे, केवल उनकी भागीदारी को ही प्रोत्साहित करने हेतु एक मंच प्रदान किया जा सके। रंगोत्सव के मुख्य उद्देश्य थे—

- कला और संस्कृति की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय के माहौल को सीखने के एक जीवंत और आनंदपूर्ण स्थान में बदलना और छात्रों, शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों सहित विद्यालय समुदाय के प्रत्येक सदस्य को अपनी कलात्मक प्रतिभा और रचनात्मकता को सामने लाने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करना।
- अपनी समस्त विविधता के साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन और जशन मनाना और सभी बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार उचित जानकारी प्रदान करना,

जिससे वे देश के विभिन्न रीति-रिवाजों, संस्कृतियों, भाषाओं, भूगोल और भोजन की विविधताओं को समझ सकें और उनकी सराहना कर सकें।

- “एक भारत श्रेष्ठ भारत” के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुनियोजित गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना।
- स्कूलों में सीखने के खुशनुमा माहौल को बढ़ावा देने के लिए पूरे सत्र के दौरान विद्यालय दिनचर्या में कला (रंगोत्सव के बाद भी) को एकीकृत करने का नियमित अभ्यास।
- रंगोत्सव पर मिली प्रतिक्रिया अपार और विशुद्ध रूप से स्वागत व्यक्त करती हुई थी। देश भर के स्कूलों ने छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए सांस्कृतिक द्वार खोलने का प्रयास किया जिसके परिणामस्वरूप देश भर में कलात्मक प्रतिभा का उत्सव मनाया गया।
- विद्यालय स्तर पर आयोजित भाषा संगम और अन्य गतिविधियों के अलावा रंगोत्सव के हिस्से के रूप में क्षेत्रीय, राजकीय, जोनल और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों, जैसे कि राष्ट्रीय बालसभा एवं एकीकरण शिविर, राष्ट्रीय स्तर लोक नृत्य, राष्ट्रीय स्तर भूमिका निर्वहन, कला उत्सव, संगीत कला संगम और अंतर-विद्यालय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

विद्यालय आधारित आकलन (वार्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण)

सीखने के परिणामों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करने के लिए, इस विभाग ने पहले से ही नियमित अंतराल पर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एन.ए.एस.) के संचालन की प्रक्रिया शुरू की है, जो एक बाहरी निष्पक्ष मूल्यांकन है। सभी पणधारकों के साथ विस्तृत और बारीकी से बातचीत के बाद यह प्रक्रिया विकसित की गयी है। 2017-18 में आयोजित एन.ए.एस. के परिणाम पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र (डोमेन) में उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, 2017 में आयोजित एन.ए.एस. के दौरान 22 लाख विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से एकत्र किए गए साक्ष्यों और तत्पश्चात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से, अधिगम परिणामों में सुधार के लिए एक रूपरेखा बनाने हेतु किये गए पायलट सर्वेक्षण के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों के अधिगम/ प्रतिफलों के आकलन के लिए 2019 में विद्यालय आधारित आकलन (एस.बी.ए.) किया जायेगा। यह विद्यार्थियों के लिए गुणात्मक एवं भयहीन आकलन प्रक्रिया होगी, जिसे संबधित स्कूल करेंगे।

ये मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन तकनीकें, बाहरी निष्पक्ष मूल्यांकन के साथ मिलकर, यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि अधिगम के वांछित परिणाम प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार से यह दोनों मूल्यांकन एक तार्किक निरंतरता बनाते हैं और आवश्यक हैं।

यूथ क्लब और इको क्लब का गठन

स्कूलों में यूथ क्लब जीवन-कौशल विकसित करने, आत्मसम्मान का निर्माण करने, आत्मविश्वास और लचीलापन विकसित करने और तनाव, शर्म व भय की नकारात्मक भावनाओं का मुकाबला करने का एक साधन है।

स्कूलों में इको क्लब विद्यार्थियों को सार्थक पर्यावरण गतिविधियों और परियोजनाओं को शुरू करने और उनमें सक्रिय भागीदारी के लिए सशक्त बनाएगा। यह एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से छात्र ठोस पर्यावरण व्यवहार को बढ़ावा देने के क्रम में अपने माता-पिता और पड़ोस के समुदायों को प्रभावित करने के लिए उन तक पहुँच सकते हैं। यह छात्रों को पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या की सीमाओं से परे पर्यावरण अवधारणाओं और संभावित कार्यों का पता लगाने के लिए सशक्त बनाएगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, विद्यालय के सभी छात्रों के लिए यूथ और इको क्लबों का गठन किया जाएगा, जहाँ वे विद्यालय के बाद और छुट्टियों के दौरान चर्चा, संगीत, कला, खेल, पढ़ने और शारीरिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। इससे विद्यालय की बुनियादी आदर्श संरचनाओं— विशेष रूप से खेल के मैदानों, खेल उपकरणों और पुस्तकालयों का समुचित सदुपयोग होगा, और इस तरह से छात्रों को वह शौक, कौशल और रुचियाँ विकसित करने में मदद मिलेगी, जो अन्यथा शायद संभव नहीं हैं।

यूथ और इको क्लब के लिए प्राथमिक स्तर पर प्रति वर्ष ₹ 15,000 प्रति स्कूल का वित्तीय प्रावधान है, जबकि माध्यमिक स्तर पर प्रति वर्ष ₹ 25,000 प्रति स्कूल का वित्तीय प्रावधान है।

परिवहन और परिवहन सहायक सुविधा

इस योजना में, कक्षा 1-8 और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) के लिए परिवहन और परिवहन सहायक (एस्कॉर्ट) सुविधा के माध्यम से, प्राथमिक स्कूलों तक बच्चों की पहुँच सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। सुदूर बस्तियों में रहने वाले बच्चों को या शहरी इलाकों में, जहाँ ज़मीन की उपलब्धता एक समस्या है या अत्यंत वंचित समूहों अथवा सी.डब्ल्यू.एस.एन. बच्चों के लिए संभवतः स्कूल तक पहुँचना आसान नहीं होता है। बहुत कम आबादी वाले, पहाड़ी/घने जंगलों/रेगिस्तानी इलाकों के साथ ही उन शहरी क्षेत्रों में बच्चों को परिवहन या परिवहन साथी (एस्कॉर्ट) सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान की गयी है, जहाँ भूमि की अनुपलब्धता के कारण राज्य के आस-पास के मानकों के अनुसार स्कूलों को स्थापित करने में असमर्थता होती है; साथ ही बहुत छोटी बस्तियों (दूरदराज, रेगिस्तानी/आदिवासी क्षेत्रों), जहाँ विद्यालय खोलना व्यावहारिक नहीं है, में रहने वाले बच्चों की ज़रूरतों को संबोधित करना और ऐसे बच्चों की विद्यालय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय की ओर से आने-जाने की मुफ्त परिवहन सुविधा या आवासीय विद्यालय सुविधा प्रदान करना ही एकमात्र उपाय है।

बहुत कम आबादी वाले क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में, जहाँ विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, कक्षा 1-8 के बच्चों या शहरी वंचित बच्चों को परिवहन की सुविधा प्रदान की जाती है। पहले, एस.एस.ए. के तहत दिए जाने वाले प्रति वर्ष ₹ 3000 के वित्तीय प्रावधान को प्रति वर्ष ₹ 6000 प्रति बच्चे की औसत लागत तक बढ़ाया गया है, जिसका आधार है— दूरी, भौगोलिक परिस्थिति और प्रदान की जाने वाली परिवहन सुविधा।

निःशुल्क वर्दी और पाठ्यपुस्तकें

आठवीं कक्षा तक के सरकारी स्कूलों में अनु. जाति/अनु. जनजाति/बी.पी.एल. परिवारों से संबंधित सभी लड़कियों और बच्चों के लिए दो जोड़ी वर्दी का आवंटन समग्र शिक्षा के तहत ₹ 400 से बढ़ाकर ₹ 600 प्रति बच्चा, प्रति वर्ष कर दिया गया है। स्कूल की वर्दी का उद्देश्य अपनी सेवाओं का उपयोग करने वाले बच्चों में स्कूल के प्रति अपनेपन और स्वामित्व की भावना को प्रेरित करना है।

पाठ्यपुस्तकों का उचित उपयोग स्कूलों में प्रदान की जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक प्रमुख संकेतक है। इसलिए पाठ्यपुस्तक उत्पादन सुधार जिसमें लेआउट और डिजाइन, पाठ्य पृष्ठ और आवरण पृष्ठ का आकार-प्रकार, स्याही, मुद्रण और बाइंडिंग आदि से संबंधित सुधार सम्मिलित हैं, का अपने आप में महत्वपूर्ण निहितार्थ है। राजकीय पाठ्यचर्या अपनाने की इच्छा वाले मदरसों सहित सरकारी/स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी बच्चों को पाठ्यपुस्तकों के लिए आवंटित धनराशि को ₹ 150 से बढ़ाकर ₹ 250 प्रति वर्ष प्रति बच्चे और प्राथमिक स्तर पर ₹ 250 से बढ़ाकर ₹ 400 कर दिया गया है। शिक्षण माध्यम के रूप में राज्य भाषा व अंग्रेजी भाषा में आसानी से अवस्थांतरण (ट्रांजिशन) हेतु जनजातीय भाषाओं में सेतु सामग्री के बतौर तैयार की गयीं आरंभिक पुस्तकें (प्राइमर)/पाठ्यपुस्तकें कक्षा 1 और 2 के लिए अधिकतम ₹ 200 प्रति बच्चे के साथ उपलब्ध होंगी।

सी.आर.सी. को मजबूत बनाना— सी.आर.सी. को गतिशीलता समर्थन

क्लस्टर संसाधन केंद्र (सी.आर.सी.) स्कूलों और शिक्षकों को प्रशिक्षण और ज़मीनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। सी.आर.सी. को नियमित रूप से दौरे करने और विद्यालय के बेहतर प्रदर्शन हेतु शैक्षणिक मुद्दों और कार्यनीतियों पर चर्चा करने के लिए मासिक बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता है। अवसंरचना एवं सुविधाओं और प्रशासनिक पहलू को नजदीकी से जानने के लिए स्कूलों का आवधिक निरीक्षण और पर्यवेक्षण महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, शैक्षणिक और पाठ्यचर्या सहायता की एक उचित प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिससे शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक उन्नयन के उद्देश्य की पूर्ति भी हो सके। इस संदर्भ में, प्रत्येक क्लस्टर में क्लस्टर संसाधन समन्वयक को स्कूलों का दौरा करना चाहिए और दो महीने में कम से कम एक बार अपने अधिकार क्षेत्र के तहत ऑनसाइट शैक्षणिक सहायता प्रदान करनी चाहिए और एम.एच.आर.डी. द्वारा निर्धारित साझा मंच पर एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए।

बी.आर.सी. द्वारा रिपोर्टिंग

शैक्षणिक संसाधन केंद्रों के रूप में ब्लॉक संसाधन केंद्रों (बी.आर.सी.) की संभाव्यताओं को अभी तक साकार नहीं किया गया है और उनकी भूमिका और कार्यों को शैक्षिक रूप से चैनलबद्ध किया जाना है। बी.आर.सी./यू.आर.सी. को समस्याओं का अध्ययन करने और स्कूलों में शैक्षणिक मुद्दों के समाधान के लिए कार्यनीति तैयार करने के संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है।

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों (बी.आर.पी.) को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा। एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सभी लक्षित समूहों अर्थात शिक्षक, प्राचार्य, ब्लॉक और क्लस्टर संसाधन व्यक्ति आदि को एक ही मंच पर लाया जाएगा और उनकी विशिष्ट भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक तरह की विषयवस्तु की ओर उन्मुख किया जाएगा। निरंतर निगरानी, अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बी.आर.पी. द्वारा स्कूलों का नियमित रूप से दौरा किया जाएगा और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षा में पढ़ाने के दौरान प्रशिक्षण से सीखी गयी बातों का उपयोग किया जाए। रिपोर्टिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी जो एक केंद्रीय सर्वर पर संकलित की जाएगी। यहाँ सॉफ्टवेयर विसंगति रिपोर्ट तैयार करेगा जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई का अनुवर्तन किया जाएगा।

विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) प्रशिक्षण

एस.एम.सी. सदस्यों का प्रशिक्षण क्लस्टर संसाधन समन्वयक (सी.आर.सी.) द्वारा आयोजित किया जायेगा। सभी स्कूलों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तारीखों पर एस.एम.सी. की एक वर्ष में चार त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जाएँगी। बैठक आयोजित करने और आयोजित बैठक की रिपोर्ट अपलोड करने के साथ-साथ स्कूलों की स्थिति/गतिविधियों की रिपोर्ट भी मोबाइल ऐप पर अपलोड करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

सरकारी स्कूलों के लिए एक विशिष्ट योजना के अधीन प्रति विद्यालय प्रति वर्ष ₹ 3,000 तक का वित्तीय प्रावधान प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर प्रदान किया जा रहा है।

समग्र शिक्षा के प्रतीक चिह्न (लोगो) का प्रदर्शन

प्रतीक चिह्न (लोगो), किसी भी योजना की दूरदृष्टि और भावना का प्रतीक है। यह परस्पर जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर विद्यालय, विद्यार्थी और समुदाय के बीच एक संबंध बनाने में मदद करता है। इससे पहले, एस.एस.ए. प्रतीक चिह्न को विद्यालय की दीवारों पर चित्रित किया गया था जो समुदाय द्वारा बहुत पसंद किया गया और इससे स्कूलों की पहचान करने में मदद मिली।

इस प्रकार, सभी स्कूलों के परिसर में प्रतीक चिह्न को प्रमुखता से प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी स्कूलों को महत्वपूर्ण स्थानों जैसे विद्यालय की दीवार पर दीवार-चित्रों या प्रदर्शन बोर्ड के माध्यम से समग्र शिक्षा के प्रतीक चिह्न को योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं, जैसे मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, मुफ्त वर्दी आदि के साथ प्रदर्शित करना आवश्यक होगा। प्रतीक चिह्न का डिज़ाइन एम.एच.आर.डी. द्वारा साझा किया जाएगा।

विश्वसनीय आँकड़े, जवाबदेही और पुरस्कार

यू.डी.आई.एस.ई.+

यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफॉर्मेशन ऑन विद्यालय एजुकेशन (यू.डी.आई.एस.ई.) में देश के सभी स्कूलों का आँकड़ा (डेटा) एकत्र किया जाता है। 2018-19 से यू.डी.आई.एस.ई.

का उन्नयन (अपडेट) करने और नयी सुविधाओं को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यू.डी.आई.एस.ई.+ (यानी, यू.डी.आई.एस.ई. प्लस) एप्लिकेशन ऑनलाइन होगा और धीरे-धीरे वास्तविक समकालीन आँकड़ा एकत्र करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आँकड़ा संग्रह के अलावा, यू.डी.आई.एस.ई.+ एप्लिकेशन में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी—

1. डेटा एनालिटिक्स और डेटा विजुअलाइजेशन वाला एक डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा। इसमें बीते वर्षों के रुझान का अध्ययन करने और वृद्धि की निगरानी करने के लिए, समय श्रृंखला आँकड़ा शामिल होगा। प्रगति को प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की सहायता से देखा जाएगा।
2. सिस्टम को जी.आई.एस. मैपिंग से जोड़ा जाएगा और विद्यालय रिपोर्ट कार्ड बनाए जाएँगे।
3. आँकड़ा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक मोबाइल ऐप सहित तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापन के लिए एक अलग मॉड्यूल विकसित किया जाएगा।



प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स; पी.जी.आई.)

पी.जी.आई. विद्यालय शिक्षा के 70 संकेतकों में प्रदर्शन पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रेड करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

1. सूचकांक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रेड प्रदान करेगा और इस प्रकार एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को एक ही ग्रेड पर रहने की सुविधा मिलेगी तथा इस तरह सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अंततः उच्चतम स्तर तक पहुँच जाएँगे। पी.जी.आई. की

कल्पना एक ऐसे उपकरण के रूप में की गयी है जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुछ प्रथाओं जैसे शिक्षकों की ऑनलाइन भर्ती और स्थानांतरण, छात्रों और शिक्षकों की इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति आदि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे।

2. पी.जी.आई. के सत्तर (70) संकेतक दो श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं— प्रतिफल और शासन प्रक्रियाएँ। पहली श्रेणी को चार उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जो हैं— सीखने के प्रतिफल, पहुँच के प्रतिफल, बुनियादी संरचना एवं सुविधाएँ और साम्यता (इक्विटी) प्रतिफल। दूसरी श्रेणी शासन प्रक्रियाओं के बारे में है जिसमें उपस्थिति, शिक्षकों की पर्याप्तता, प्रशासनिक पर्याप्तता, प्रशिक्षण, जवाबदेही और पारदर्शिता शामिल हैं।
3. पी.जी.आई. के तहत अधिकतम प्राप्तांक 1,000 है। प्रत्येक संकेतक को 20 या 10 अंक दिए गए हैं।

शगुन पोर्टल

18 जनवरी 2017 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने शगुन पोर्टल— (www.seshagun.nic.in) का शुभारंभ किया। इसके दो मॉड्यूल हैं— (1) नवाचार भंडार (रिपॉजिटरी) और (2) ऑनलाइन निगरानी।

नवाचार भंडार (रिपॉजिटरी)

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में कार्यान्वित किए जा रहे नवाचारी और सफल मॉडलों का प्रदर्शन करते हुए विद्यालयी शिक्षा के कथानक में परिवर्तन हेतु डिजिटल भंडार बनाया गया है। इससे इन सफल प्रयासों को दोहराने और वृहद पैमाने पर ले जाने की सक्षमता आती है।

अच्छे प्रयासों का यह भंडार (रिपॉजिटरी) सकारात्मक कहानियों और विकास पर केंद्रित है जो स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में सुधार ला रहा है। इन नयी कोशिशों को प्रकरण अध्ययन (केस स्टडीज), वीडियो, प्रशंसा-पत्र (टेस्टीमोनियल्स) और तस्वीरों के रूप में प्रलेखित किया गया है।

यह डिजिटल मंच जनसाधारण, संचार मीडिया, पणधारकों और वैश्विक शिक्षाविदों के लिए है, ताकि वे प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में दर्ज किए जा रहे इन नवाचारी विचारों और सफलता की कहानियों के साक्षी बन सकें। राज्य सरकारों, पब्लिक स्कूलों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाने वाले नवाचारों को इस भंडार में प्रलेखित और इसके माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। शगुन भंडार में सर्वश्रेष्ठ प्रयासों पर 296 वीडियो, 269 प्रकरण अध्ययन, 151 प्रशंसा-पत्र और 4,586 तस्वीरें हैं।

वर्ष 2018-19 में, विभाग ने अपनी सभी योजनाओं और विभिन्न स्वायत्त निकायों जैसे एन.सी.ई.आर.टी., एन.आई.ई.पी.ए., सी.बी.एस.ई., एन.सी.टी.ई., एन.आई.ओ.एस., के.वी.एस., एन.वी.एस. और राष्ट्रीय बाल भवन (एन.बी.बी.) की गतिविधियों को शामिल करके इस भंडार का विस्तार करने का निर्णय लिया।

ऑनलाइन निगरानी

शगुन के ऑनलाइन निगरानी मॉड्यूल राज्य-स्तरीय प्रदर्शन एवं प्रगति को प्रमुख शैक्षिक संकेतकों से तुलना करके मापते हैं जो डी.एस.ई.एल. और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा

विभागों को वास्तविक समसामयिक आकलन करने में सक्षम बनाता है। इसके मुख्य कार्यों में सम्मिलित है— निधि उपयोग निगरानी, प्रमुख शैक्षिक संकेतकों पर प्रदर्शन मापन, ऑनलाइन योजना और लक्ष्य निर्धारण, भौतिक लक्ष्य और परिणामों की निगरानी।

इस पोर्टल में डेटा एनालिटिक्स प्रदान किया जाता है और ग्राफ़िक्स उत्पन्न किया जाता है जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति को प्रमुख पहचान मापदंडों जैसे कि स्कूली मुख्यधारा से बाहर बच्चों की सही संख्या, सरकारी स्कूलों के साथ निजी स्कूलों में नामांकन में वृद्धि या कमी, सीखने के परिणामों पर खर्च और शिक्षकों के वेतन इत्यादि की तुलना में दर्शाता है।

शगुनोत्सव

एक बड़ी पहल के अंतर्गत, अगस्त-सितंबर, 2019 के दौरान देश भर के सभी सरकारी स्कूलों का दौरा और जाँच किए जाने का प्रस्ताव है। यह सभी राज्यों सहित संघ राज्य क्षेत्रों के 11.85 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में,

सितंबर 2019 में किया जाने वाला जनगणना आधारित लेखा परीक्षण है जिसमें लगभग 7 लाख एकाकी (स्टैंडअलोन) प्राथमिक विद्यालय भी शामिल हैं। विद्यालय स्तर पर गुणवत्ता और बुनियादी संरचना का आकलन करने के लिए विभिन्न विद्यालय आधारित मापदंडों पर डेटा वर्तमान में यूनिकाइड डिस्ट्रिक्ट इनफ़ॉर्मेशन सिस्टम फ़ॉर एजुकेशन (यू.डी.आई.एस.ई.), शगुन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (पी.एम.एस) और परफॉर्मंस ट्रेडिंग इंडेक्स (पी.जी.आई.) इत्यादि उपकरणों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। हालाँकि, वास्तव में स्कूल जाकर अभी इसकी पुष्टि नहीं की गयी है। आकांक्षी जिलों के केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया से पता चला है कि कई स्कूलों का दौरा बिल्कुल नहीं किया जाता है या वहाँ जाने की आवृत्ति बहुत कम है। इसलिए प्रत्येक विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों, छात्रों,



विद्यालय प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी की पर्याप्तता का पता लगाने के लिए विद्यालय आधारित जनगणना की कवायद करने की आवश्यकता महसूस की गयी।

विद्यालय की जनगणना के लिए मापदंड यू.डी.आई.एस.ई.+ , पी.जी.आई. और शगुन के माध्यम से निगरानी किए गए संकेतकों पर आधारित होंगे। अधिगम प्रतिफलों का मूल्यांकन इस आकलन का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि यह एन.ए.एस./विद्यालय आधारित मूल्यांकन के अगले दौर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्त प्रतिपुष्टि (फीडबैक) से, विद्यालय की विशिष्ट आवश्यकताओं और उचित नीतिगत हस्तक्षेपों की पहल हेतु व्यवस्था को जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के लिए दिशानिर्देश 25 अप्रैल, 2019 को जारी किए गए हैं।

अच्छे प्रदर्शन को मान्यता देना

शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

इन पुरस्कारों को 1958 में स्थापित किया गया था। 1960 के दशक के मध्य से भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन की तिथि 5 सितंबर, इस समारोह के लिए निश्चित हो गयी। समय के साथ, पुरस्कारों की संख्या भी बढ़कर 378 हो गयी, लेकिन यह महसूस किया गया कि ये पुरस्कार अपनी गरिमा खो रहे हैं।

वर्ष 2018 में इस योजना की संदर्शिका में प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कारों में किए गए बदलावों के मुताबिक कुछ संशोधन किया गया। नयी योजना पारदर्शी एवं निष्पक्ष है और पुरस्कारों में उत्कृष्टता और प्रदर्शन का निरूपण करती है।

नयी योजना की विशेषताएँ हैं—

1. www.mhrd.gov.in पर शिक्षकों से ऑनलाइन स्व नामांकन आमंत्रित करना। वेब पोर्टल का विकास भारत के प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय (ए.एस.सी.आई.) द्वारा किया गया था और संपूर्ण सॉफ्टवेयर बिना किसी गड़बड़ या शिकायत के सुचारु रूप से चला।
2. देश भर के शिक्षकों से लगभग 6,000 आवेदन प्राप्त हुए जो स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि पहल सफल रही।
3. सभी नियमित शिक्षक पात्र थे और न्यूनतम सेवा की कोई शर्त नहीं थी। इससे मेधावी युवा शिक्षक आवेदन करने में सक्षम हुए।
4. पुरस्कारों की संख्या को 45 कर दिया गया जिससे पुरस्कारों की प्रतिष्ठा पुनः बढ़ी है।
5. अंतिम चयन में किसी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या संगठन का कोटा नहीं था। इसने उन्हें पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने को प्रोत्साहन दिया।
6. राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र ज्यूरी ने अंतिम चयन किया। ज्यूरी ने सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और संगठनों द्वारा अग्रेषित 152 उम्मीदवारों की सूची की समीक्षा की। प्रत्येक नामांकित व्यक्ति ने ज्यूरी के समक्ष एक प्रस्तुति दी, जिसके आधार पर अंतिम मूल्यांकन किया गया और शिक्षक पुरस्कार के लिए 45 नामों की सिफ़ारिश की गयी।

माननीय प्रधानमंत्री ने 4 सितंबर, 2018 को अपने आवास पर पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वालों के साथ बातचीत के बारे में ट्वीट भी किया।

जहाँ झारखंड के अरविंद जजवारे और महाराष्ट्र के विक्रम अडसुल जैसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों ने विद्यालय छोड़ने की दर कम करने और नामांकन बढ़ाने के लिए आनंदमयी अधिगम प्रणाली का अभ्यास किया, वहीं गुजरात के राकेश पटेल और राजस्थान के इमरान खान ने आई.सी.टी. और बच्चों के साथ मित्रवत गतिविधि आधारित शिक्षा से अपने स्कूलों को सीखने के घरों में बदला। कर्नाटक की शिक्षिका शैला आर.एन. ने विद्यार्थियों के लाभार्थि विद्यालय के बुनियादी ढाँचे में सुधार लाने के लिए सामुदायिक समर्थन जुटाया, जबकि सिक्किम से कर्मा चोमू भूटिया ने नामांकन बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की।



भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने 5 सितंबर, 2018 को विज्ञान भवन में पुरस्कार प्रदान किए। समारोह के दौरान प्रत्येक पुरस्कार विजेता की उपलब्धियों पर फ़िल्में भी दिखायी गयीं।

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार

विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2016-17 में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार (एस.वी.पी.) को ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पहल के अगले कदम के रूप में स्थापित किया। ये पुरस्कार स्कूलों में स्वच्छता के प्रति दीर्घकालिक स्थिरता और व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए हैं। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार स्कूलों में पानी, स्वच्छता और सफ़ाई के प्रयासों में उत्कृष्टता को पहचानने, प्रेरित करने और खुशी मनाने



की एक पहल है। स्कूलों ने स्वेच्छा से पुरस्कारों के लिए एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017-18 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अलावा निजी स्कूलों के लिए भी खुला था।

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017-18

एस.वी.पी. 2017-18 को स्कूलों की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017-18 के लिए 6,15,152 स्कूलों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया, जो पिछले वर्ष भाग लेने वाले स्कूलों की संख्या के दोगुने से अधिक है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों पर विचार के लिए 727 स्कूलों को चुना गया। सत्यापन और पूरी तरह से छानबीन के बाद शीर्ष 52 स्कूलों को एस.वी.पी. 2017-18 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 18 सितंबर, 2018 को आयोजित समारोह के दौरान शीर्ष चार राज्यों अर्थात् पुदुचेरी, तमिलनाडु, गुजरात व आंध्र प्रदेश और सर्वश्रेष्ठ 9 जिलों अर्थात् पांडिचेरी, श्रीकाकुलम, चंडीगढ़, हिसार, कराईकल, लातूर, नेल्लोर, दक्षिण गोवा और वड़ोदरा को मान्यता प्रमाण-पत्र दिए गए।

पुरस्कारों के लिए चयन पद्धति

पुरस्कारों के लिए स्कूलों का चयन पाँच उप-श्रेणियों— (i) जल, (ii) शौचालय, (iii) साबुन से हाथ धोना, (iv) संचालन और रख-रखाव, (v) व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण में प्राप्त अंकों के आधार पर किया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए सर्वश्रेष्ठ स्कूलों को मान्यता प्रमाण-पत्र के साथ विद्यालय में स्वच्छता और स्वच्छता की स्थिति को बनाए रखने और सुधारने के लिए अतिरिक्त विद्यालय अनुदान के रूप में ₹ 50,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में भाग लेने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्यों और शीर्ष जिलों को भी मान्यता सम्मान मिला।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रयोग

नली कली, कर्नाटक

कई कक्षाओं के बच्चों के लिए नली कली का अर्थ है कि वे एक आनंदमय और रोमांचक वातावरण में पढ़ना, लिखना और अपनी रचनात्मकताओं के बारे में जानना सीख रहे थे। 2009-10 में, नली कली को कक्षा 1 और 2 के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा संचालित सभी कन्नड़ माध्यम के स्कूलों में शुरू किया गया था। इसमें छात्र सीखने की पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं; शिक्षकों के बोझ में कमी आती है; कक्षा में अधिकतम मेल-जोल होता है; और परीक्षा का कोई डर/चिंता नहीं होती। बच्चों की प्राकृतिक वृत्ति जैसे कि जिज्ञासा, गत्यात्मकता और अन्वेषण को प्रदर्शन एवं भावी विकास के लिए जगह मिल पाती है। कक्षा में पढ़ाने की नली कली पद्धति न केवल शिक्षक को अधिक स्वायत्तता देती है, बल्कि बच्चे के लिए एक दोस्ताना और आनंदमय तरीके से सीखने का सही माहौल भी बनाती है। शिक्षण एक संवादात्मक तरीके से उम्र और दक्षताओं के अनुसार आयोजित समूहों में व्यवस्थित रूप से होता है। जब बच्चे एक समूह की योग्यता में महारत हासिल करते हैं, तो वे अगली योग्यता सीखने के लिए दूसरे समूह में चले जाते हैं। शिक्षण; गीत, खेल, सर्वेक्षण, कहानी, शैक्षिक खिलौनों के उपयोग और शिक्षण-अधिगम सामग्री के माध्यम से होता है, जो शिक्षकों द्वारा स्वयं बनाया जाता है। जब छात्रों को समूहीकृत किया जाता है और सीखना गैर-औपचारिक तरीके से होता है तो ज़ाहिर है कि इस सीखे हुए को वे लंबे समय तक याद रख सकेंगे। सीखने के भार में कमी और सीखने के न्यूनतम स्तर पर महारत हासिल करना ही इस अवधारणा का मूल है।

गणित कलिका आंदोलन (जी.के.ए.), कर्नाटक

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के बीच गणित के कक्षा अध्यापन को सुगम बनाने के लिए एक गणित शिक्षण आंदोलन कार्यक्रम— गणित कलिका आंदोलन (जी.के.ए.) की शुरुआत की गयी है। गणित को व्यापक रूप से एक मूलभूत अनुशासन माना जाता है, जिस पर भविष्य में विद्यालय में बहुत कुछ सीखना निर्भर करता है। यह एक मॉडल समर्थन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य गणितीय अवधारणाओं को रटने के बजाय उन्हें करके सीखने और दोस्तों के साथ सामूहिक रूप से गतिविधि आधारित रचनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करके सीखने को बढ़ावा देना है। यह विचार की स्पष्टता और दिन-प्रतिदिन के जीवन में गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है। इस कार्यक्रम को स्कूलों में गणित शिक्षण-अधिगम सामग्री (टी.एल.एम.) और सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करके लागू किया गया है। इन टी.एल.एम. को कर्नाटक राज्य पाठ्यक्रम में निर्धारित दक्षताओं के सीखने की सुविधा के लिए बनाया गया है। सीखने के परिणामों को मापने के लिए टैबलेट पर एंड्रॉइड आधारित एप्लिकेशन का उपयोग करके बच्चों का मूल्यांकन किया जा रहा है। यह पहल गणित सीखने के परिणामों की गुणवत्ता बढ़ाने के सरकारी प्रयासों में वृद्धि करती है।

गतिविधि आधारित अधिगम (ए.बी.एल.), तमिलनाडु

ए.बी.एल. (एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग) को अनिवार्य रूप से कक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया है जो एक रोचक और अंतःसंवादी (इंटरैक्टिव) तरीके से व्यक्तिगत रूप से सीखने में सक्षम बनाता है। यह एन.जी.ओ. ऋषि वैली रूरल एजुकेशन सेंटर के मॉडल पर आधारित है जो खुशी से सीखने के कार्यक्रमों और गहन शिक्षक प्रशिक्षण के साथ अपने प्रयोगों के लिए जाना जाता है। कक्षा के ए.बी.एल. शिक्षक में अधिगम सुकारक के रूप में आमूलचूल बदलाव आ गया है। अब वह कक्षा में व्याख्यान नहीं देता या एक ही तरीके से पूरी कक्षा को सीखने का निर्देशन नहीं करता है। ए.बी.एल. कक्षाओं में, बच्चे अपने सीखने के स्तर के अनुसार एक साथ बैठते हैं, भले ही उनकी आयु ग्रेड के अनुसार उपयुक्त न हो।

ए.बी.एल. कक्षा में विभिन्न प्रकार के कार्ड और सामग्रियाँ हैं, जो विभिन्न स्तरों की दक्षताओं में बच्चों के बीच सीखने की संरचित प्रक्रिया को सक्षम करते हैं। दिन के लिए अपना गतिविधि कार्ड चुनने से लेकर अपनी उपस्थिति तक को चिह्नित करने तक, बच्चे कम उम्र में स्वतंत्र निर्णय लेना सीखते हैं।

सपनों की उड़ान कार्यक्रम— मोबाइल विद्यालय (उत्तराखंड) के माध्यम से स्कूली बच्चों को शिक्षित करने की पहल

शिक्षा के अधिकार के पूर्वावलोकन के तहत बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा की पहुँच का विस्तार करने के लिए, मोबाइल स्कूल-बहुउद्देशीय वाहनों का उपयोग आम जनता के बीच जागरूकता और प्रेरक अभियानों का विस्तार करके मोबाइल स्कूलिंग सुविधाएँ प्रदान करने के लिए किया गया है। इन वाहनों को; परामर्श और जागरूकता के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न शिक्षण उपकरण, मल्टीमीडिया प्रणाली और योग्य संसाधन व्यक्तियों के सहयोग से प्रदान किया जा रहा है। कभी विद्यालय नहीं जा सकने वाले बच्चों की पहचान और उन्हें मुख्यधारा शिक्षा से जोड़ना, इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए ऐसे बच्चों की पहचान हेतु विशेष अभियान चलाकर और उनके लिए उचित आयु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करके, उन्हें आस-पास के स्कूलों में प्रवेश दिलाने का प्रयास किया गया है। इससे बच्चों की अस्थिर आबादी को स्कूलों की ओर आकर्षित करने और साथ ही साथ उनके अभिभावकों को प्रेरित करने में मदद मिली है।

बहुभाषी शिक्षा (एम.एल.ई.), ओडिशा

बहुभाषी शिक्षा, उपयुक्त संज्ञानात्मक और तर्क कौशल विकसित करने का एक संरचित कार्यक्रम है जो बच्चों को अपनी मूल भाषा, राज्य भाषा और राष्ट्रीय भाषाओं में समान रूप से कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है, और इसकी शुरुआत मातृभाषा से होकर, दूसरी (ओड़िया) और फिर तीसरी भाषा (अंग्रेजी) में अवस्थांतरण के साथ समाप्त होती है। ओड़िशा में बच्चों को ओड़िया भाषा सिखायी जाती है, जो उन कई आदिवासी बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण है जिनकी मातृभाषा ओड़िया नहीं है। पाठ्यपुस्तकों का संदर्भ भी आदिवासी बच्चों के लिए अपरिचित है, जो उन्हें कक्षा शिक्षण और सीखने की गतिविधियों को पूरी

तरह से समझने में असमर्थ बनाता है, जिसका प्रतिधारण (रिटेंशन) और सीखने के प्रतिफलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा (एम.एल.ई.) कार्यक्रम में, स्कूली शिक्षा मातृभाषा में शुरू होती है और धीरे-धीरे अतिरिक्त भाषाओं में स्थानांतरित होती है। प्रारंभिक ग्रेड में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने से बच्चों में शिक्षा की मज़बूत बुनियाद स्थापित होती है क्योंकि शिक्षा का माध्यम वही भाषा है जिससे बच्चा भलीभाँति परिचित है। साथ ही वह ज्ञान और अनुभव जो वे कक्षा में लाते हैं, उसे पाठ्यचर्या से जोड़ा जाता है, जिससे उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में भी वृद्धि होती है। एम.एल.ई. कार्यक्रम 17 आदिवासी बहुल जिलों में 21 आदिवासी भाषाओं के विभिन्न स्कूलों में चल रहा है।

प्रज्ञा— गुजरात का गतिविधि आधारित शिक्षण मॉडल

भावनगर के दक्षिणामूर्ति विद्यालय में स्व. गिजुभाई बधेका द्वारा किए गए काम के कारण, गतिविधि आधारित खुशी-खुशी शिक्षा, एक अवधारणा के रूप में राज्य में बहुत गहरी जड़ जमा चुका है। यहाँ तक कि प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों को इसी शिक्षाशास्त्र के साथ विकसित किया गया था। हालाँकि, शगुनोत्सव 1 (वर्ष 2009) में देखा गया था कि कक्षा 5 के बाद भी कई बच्चों में पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक योग्यता के बुनियादी कौशल की कमी थी। समस्या का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि राज्य को ऐसे शिक्षा विज्ञान की ज़रूरत है जिसमें सीखने की गारंटी दी जाए। राज्य स्तरीय शिक्षाशास्त्र कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प्रकार के शिक्षाशास्त्र मॉडलों पर चर्चा की गयी और यह तय किया गया कि ए.बी.एल. कार्यप्रणाली और मज़बूत हो। तदनुसार, ऋषि वैली मॉडल (एम.जी.एम.एल.) को अपनाया गया। राज्य ने एम.जी.एम.एल. पद्धति में संशोधन किया और ए.बी.एल. प्रज्ञा (प्रवृत्ति द्वारा ज्ञान) पद्धति सामने आयी। राज्य स्तरीय कोर टीम का गठन किया गया और इस दल को अन्य राज्यों में एम.जी.एम.एल. जैसी कार्यप्रणाली अपनाने वाले स्कूलों की कार्यप्रणाली से परिचित कराया गया। फिर इस कोर टीम ने यूनिसेफ के सहयोग से ए.बी.एल. प्रज्ञा पद्धति के लिए नयी सामग्री विकसित की। ए.बी.एल. प्रज्ञा पद्धति में प्रत्येक अवधारणा के लिए सीखने का चक्र (परिचय-अभ्यास-मूल्यांकन) सुनिश्चित किया गया है।

पहल का विवरण

- सामग्री छोटी गतिविधियों में विभाजित है और प्रत्येक गतिविधि के लिए विशिष्ट कार्ड है।
- सामग्री अनुक्रमिक सीढ़ी के रूप में आयोजित की गयी है, जिसके माध्यम से बच्चे स्वयं प्रगति करते हुए, एक के बाद एक गतिविधि को पूरा करते हैं।
- बच्चों को चार अलग-अलग प्रकार के समूहों में व्यवस्थित किया जाता है। बच्चा अपनी प्रगति के अनुसार समूह को व्यक्तिगत रूप से बदलता रहता है।

- तीन प्रकार के अंतःसंवाद (इंटैक्शन) (शिक्षक-बालक, बालक-बालक, बालक-सामग्री) सुनिश्चित किए जाते हैं।
- प्रत्येक बच्चे द्वारा सभी अवधारणाओं के लिए सीखने के चक्र (अवधारणा, अभ्यास और मूल्यांकन के परिचय) को पूरा करने के बुनियादी नियम को बनाए रखा जाता है।
- सतत मूल्यांकन प्रज्ञा का एक अंतर्निर्मित हिस्सा है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का मूल्यांकन अनुक्रमिक सीढ़ी पर उसके आगे बढ़ते जाने की एक सतत प्रक्रिया के रूप में किया जाता है।

प्रभाव

बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि में सुधार हुआ है। किए गए तीन प्रमुख अध्ययनों से पता चला है कि प्रज्ञा स्कूलों के छात्रों ने गैर-प्रज्ञा स्कूलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। पहला शोध 'प्रथम' द्वारा आयोजित किया गया था, एक अन्य शोध यूनिसेफ़ और 'शिक्षा पहल' द्वारा आयोजित किया गया था और तीसरा शोध गुजरात सरकार के मूल्यांकन विभाग द्वारा किया गया था। एक अन्य प्रमुख लाभ यह है कि प्रज्ञा कक्षा एक समावेशी कक्षा है क्योंकि गतिशील समूह रोटेशन प्रणाली प्रत्येक बच्चे को सभी बच्चों के साथ काम करने का अवसर प्रदान करती है।

एक प्रमुख लाभ के रूप में सीखने की उपलब्धि के अलावा, निम्नलिखित लाभ भी देखे गए हैं—

- निजी विद्यालय इस शिक्षण दृष्टिकोण से प्रेरित हुए हैं और इसे अपने विद्यालयों में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं।
- अंतःसंवाद (इंटैक्टिव) और नवाचारी शिक्षण, बोलने, सुनने और रचनात्मक सोच के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है जिससे भाषा के उपयोग में आत्मविश्वास और प्रवाह विकसित होता है।
- यह बच्चों को अनुभव और बिना बोझ के सीखने का मौका देता है।
- बच्चे को विभिन्न परियोजना कार्यों और क्षेत्रीय कार्यों से परिचित होने का अवसर मिलता है।
- बच्चे को कुछ बनाने और उसे प्रदर्शित करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं।

यह कार्यक्रम वर्ष 2010 में 256 स्कूलों में शुरू किया गया था। धीरे-धीरे यह कार्यक्रम वर्ष 2017-18 तक लगभग 22,000 स्कूलों में पहुँच गया। फिर कुछ संशोधनों के साथ, प्रज्ञा ने वर्ष 2018-19 में राज्य भर के सभी स्कूलों में प्रवेश किया।

दोपहर का भोजन (मिड-डे मील)— नये तरीके

नामांकन, उपस्थिति और अवधारण को बढ़ाने और एक साथ बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से, 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना 'प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम' (एन.पी.-एन.एस.पी.ई.) शुरू की गयी

थी। 2008-09 में, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को शामिल करने के लिए योजना का विस्तार हुआ और इस योजना का नाम बदलकर 'विद्यालयों में मिड-डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम' कर दिया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से मिड-डे मील स्कीम (एम.डी.एम.एस.) के नाम से जाना जाता है। एम.डी.एम.एस. में सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एस.टी.सी.) और मदरसों व मकतबों में पहली से आठवीं कक्षा तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को समग्र शिक्षा के तहत सहायता प्रदान की जाती है।

मध्याह्न भोजन योजना का एक उद्देश्य बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना और और भारत में अधिकांश बच्चों में उनकी उस समस्या का समाधान करना है, जिसका नाम है— भूखा एम.डी.एम. दिशानिर्देशों में सुझाया गया है कि बच्चों को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक चरणों में क्रमशः 450 और 700 कैलोरी प्राप्त होनी चाहिए।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 11.34 लाख पात्र विद्यालयों में कक्षा 1-8 में पढ़ने वाले 9.17 करोड़ बच्चे इस योजना के अंतर्गत शामिल हुए थे।

विद्यालय पोषण उद्यान की स्थापना

विद्यालय पोषण उद्यान (स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन, एस.एन.जी.) एक ऐसा स्थान है, जहाँ मिड-डे मील में उपयोग के लिए विद्यालय परिसर में जड़ी-बूटियों, फलों और सब्जियों को उगाया जाता है। विद्यालय पोषण उद्यान विकसित करने का उद्देश्य कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में मदद करना है और बच्चों को प्रकृति और बागवानी के साथ स्वयं कार्य करने का अनुभव देना है। विद्यालय पोषण उद्यान स्थापित करने के लिए भूमि के बड़े टुकड़े की आवश्यकता नहीं होती है और यहाँ तक कि बक्सों में सब्जी/फलों को उगाने के लिए छत का उपयोग भी किया जा सकता है। जहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं है, वहाँ पौधों को छोटे बक्सों, डिब्बे, जार, मिट्टी के बर्तनों, लकड़ी की पेटी, सिरेमिक सिंक, भोजन के डिब्बे और आटा बैग आदि में भी उगाया जा सकता है।

विद्यालय पोषण उद्यान में उगायी गयी सब्जियों, फलों का सेवन पूरी तरह से मिड-डे मील के तहत किया जा सकता है, जिसमें तना (केला, लौकी, कद्दू), पत्तियाँ (धनिया, पुदीना, पालक), फूल (कद्दू का फूल, मोरिंगा) शामिल हैं। राज्य में विभिन्न विभागों के साथ मिलकर, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि/उद्यान, खाद्य और पोषण बोर्ड, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों आदि द्वारा विद्यालय पोषण उद्यान की स्थापना की जा सकती है।

मध्याह्न भोजन योजना में अभिनव हस्तक्षेप के अंतर्गत फ्लेक्सि फंड घटक के तहत, केंद्र और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझाकरण के आधार पर बीज, उपकरण, खाद आदि की खरीद के लिए ₹ 5000 प्रति स्कूल पोषण उद्यान की राशि का उपयोग किया जा सकता है। हालाँकि, मौजूदा दिशानिर्देशों में मामूली संशोधनों के साथ योजना को लागू करने का अधिकार ज़िला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली ज़िला स्तरीय समिति को सौंप दिया गया है। समिति प्रति विद्यालय पोषण उद्यान बीज के लिए ₹ 5000 की कुल औसत राशि के अंदर

स्कूल की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर धनराशि को तर्कसंगत बना सकती है और आवंटित कर सकती है। बीज/पौधे, कृषि/बागवानी विभाग से प्राप्त किए जा सकते हैं। राज्य में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.एन.आर.ई.जी.एस.) ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ स्कूलों में परिसर की दीवारों के निर्माण, ज़मीन को समतल करने आदि के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के कार्यक्रम कार्यान्वयन की एक संदर्शिका— मास्टर परिपत्र— के अनुसार कार्य किया जा सकता है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आइटम मनरेगा के माध्यम से सहायता के लिए स्वीकार्य हैं। छोटे लेख के साथ स्कूल पोषण उद्यान (उच्च परिभाषा) की तस्वीरें एम.डी.एम.– एम.आई.एस. पोर्टल पर त्रैमासिक आवृत्ति में अपलोड की जा सकती हैं।

तिथि भोजन

तिथि भोजन एक पहल है जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। इस कार्यक्रम के तहत समुदाय द्वारा त्योहारों, सालगिरह, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय महत्व के दिनों जैसे विशेष अवसरों पर पूर्ण भोजन या अतिरिक्त चीजें प्रदान की जाती हैं। इस बात पर जोर दिया गया है कि तिथि भोजन मिड-डे मील का विकल्प नहीं है और यह केवल पूरक है या पूरक मिड-डे मील है। एम.एच.आर.डी. द्वारा पहले से ही तिथि भोजन पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। तिथि भोजन की अवधारणा को असम (संप्रति भोजन), आंध्र प्रदेश (विंदु भोजनम), दादरा और नगर हवेली (तिथि भोजन), दमन और दीव (तिथि भोजन), गुजरात (तिथि भोजन), हरियाणा (बेटी का जन्मदिन), कर्नाटक (शालगी नावु नीवु), मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र (स्नेह भोजन), चंडीगढ़ (तिथि भोजन), पुदुचेरी (अन्न धानम), पंजाब (प्रीति भोजन), राजस्थान (उत्सव भोज), तमिलनाडु (नाल विरंधु) और उत्तराखंड (विश्व भोज) आदि राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सम्मिलन

एम.डी.एम. के स्वास्थ्य और पोषण घटक के लिए मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है। इसके तहत—

1. प्रारंभिक कक्षाओं 1-8 और 6-14 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों की स्वास्थ्य जाँच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) के तहत की जा रही है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य जाँच सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी है।
2. सूक्ष्म पोषक तत्व, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रदान किए जाते हैं। हर सप्ताह आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम (डब्ल्यू.आई.एफ.एस.) के तहत बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड (आई.एफ.ए.) टैबलेट भी प्रदान किए जाते हैं।
3. बच्चों को राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस (नेशनल डिवर्मिंग डे; एन.डी.डी.) पर माह में दो बार कृमिनाशक दवा (एल्बेंडाजोल-400) प्रदान की जाती है।

खाना पकाने की प्रतियोगिता

मध्याह्न भोजन के लिए खाना पकाने की प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 2019-20 के प्राथमिकता क्षेत्रों में से एक है। खाना पकाने की प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बावर्ची तथा सहायकों (कुक-कम-हेल्पर्स) को केवल सब्जियों यानी तने, पत्तियों, छिलकों आदि का उपयोग करके सर्वोत्तम व्यंजनों को बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है; सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत खाद्य आदतों के अनुसार स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य मदों के साथ मध्याह्न भोजन की तैयारी पर जोर देना; मध्याह्न भोजन की तैयारी में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना; प्रतियोगिता के लिए निर्णायकों के रूप में स्कूली बच्चों (प्राथमिक कक्षाओं में से एक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में से एक) को जोड़ना क्योंकि वे मिड-डे मील के अंतिम लाभार्थी हैं। इसके अलावा पोषण विशेषज्ञ खाना पकाने की प्रतियोगिता से भी जुड़े हो सकते हैं। विजेताओं को उपयुक्त रूप से पुरस्कृत और औपचारिक रूप से सम्मानित किया जायेगा।

गतिविधि

प्रत्येक समूह में 6 प्रतिभागियों के छोटे समूह बनाएँ और उनसे इन पहलों और समाधानों के कार्यान्वयन की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करने और इन चुनौतियों को दूर करने का हल प्रस्तुत करने के लिए कहें।

समग्र शिक्षा, एम.डी.एम. और कुछ सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन

प्रत्येक विद्यालय के प्रमुखों और शिक्षकों को छात्रों के लाभार्थी विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु समग्र शिक्षा, एम.डी.एम. जैसे प्रावधानों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए विद्यालय स्तर की योजनाएँ बनाने की आवश्यकता है। उन्हें इन प्रावधानों को शामिल करने के लिए अपने विद्यालय की गतिविधियों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। उन्हें यह भी योजना बनाने की आवश्यकता है कि इनमें से कुछ प्रावधानों को कक्षा की प्रक्रिया में कितनी अच्छी तरह से एकीकृत किया जा सकता है या ये कक्षा प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए कैसे सहायता प्रदान करेंगे— जैसे कि इको क्लब, यूथ क्लब, पुस्तकालय आदि।